न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 120/2020
GCMS No.- : 2020/00249

–: वादी :–

1. शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल जाति भाम्बी निवासी ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजेमर।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथा
2. श्रवण पुत्र चौथा
3. नारायणी पुत्रि चौथा
4. सुन्दरी पुत्रि चौथा
5. कमली पुत्रि चौथा
6. मतिया पुत्रि चौथा
7. सन्तु पुत्रि चौथा
8. रामा पुत्र उंकार
9. गिरधारी पुत्र उंकार कौम गुर्जर साकिन खातेदार ग्राम . खेड.ा तहसील .जैतारण जिला.पाली (राज.)
10. भंवरू पुत्र फुसा कौम भांबी साकिन खातेदार ग्राम . खेड.ा तहसील .जैतारण जिला.पाली (राज.)
11. श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)
12. रामगोपाल इण्डस्ट्रीज प्रा.लि.पता 10 ए अमरविजय काम्पॅलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड.जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय भण्डारी पुत्र श्री राजमल भण्डारी।
13. तहसीलदार एवं उपपंजियक अधिकारी, जैतारण जिला पाली (राज)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2022.01.24 18:31:45
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू.:23/10/2020

उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनाँकः– 30/12/2021

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 2324 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म सेवज दोयम की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 1/4 हिस्से यानि 0 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है। मगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगणएवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगणकी खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीको हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ [illegible] है वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 1/4 हिस्से [illegible] 0 बीघा [illegible] बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग से [illegible] काश्त हैवादीगणने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खाते [illegible] अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडाकरवाने सें

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2022.01.24 18:31:45
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दिनांक 30.09.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। वादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है, इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादीगणअपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदिप्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है, इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार चौथा पुत्र नेना फोत हो चुके है जिनके वारिशान निम्न है जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथा,श्रवण पुत्र चौथा,नारायणी,सुन्दरी,कमली,मतिया,सन्तु पुत्रिया चौथा है। इनके अलावा चौथा पुत्र नेना के ओर कोई वारिसान नही है।इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के रुप में पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 30.09.2020को वादीद्वारा प्रतिवादीगण कोवादीगण के हिस्से की भूमिका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करनेएवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगणको उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर वमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 10 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की और से वकालतनामा पेश हुआ, जो जवाब पेश नहीं करना चाहते, जवाब दावा बन्द किया जाता है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 18:31:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

12 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 2324 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2324 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म सेवज दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/385 दिनांक 06/06/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/4477 दिनांक 27/10/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 2324 रकबा 1-14 बीघा किस्म सेवज दोयम की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म	लगान
1	शांन्तिलाल पुत्र भंवरलाल जाति-भांबी सा.बाड़ीया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील-ब्यावर जिला-अजमेर खातेदार।	2324/1	0.0688	से0द[illegible]	0.0[illegible]
2	मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड खातेदार।	2324	0.0860	से0दो0	[illegible]1
3	रामगोपाल इण्डस्ट्रीज प्रा.लि.पता 10 ए अमरविजय को.खातेदार	2324/2	0.0172	से0दो0	0.02

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:31:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

4	जैती उर्फ तेजी पत्नि चौथा हि. 1/48, श्रवण पुत्र चौथा हि.1/48, नारायणी पुत्री चौथा हि.1/48, सुन्दरी पुत्री चौथा हि.1/48, कमली पुत्री चौथा हि.1/48, मतिया पुत्री चौथा 1/48, सन्तु पुत्री चौथा हि.1/48, गणकी पत्नि कालू हि. 1/144, नोरती पुत्री कालू हि.1/144, धीरकी पुत्री कालू हि.1/144, रामा पुत्र उंकार हि.1/12, गिरधारी पुत्र उंकार हि. 1/12, कौम–गुर्जर सा.खेड़ा भंवरू पुत्र फूसा हि. 2/3, कौम –भांबी सा.खेड़ा	2324/3	0.1032	से0दो0	0.15

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 30/12/2021 को सर–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar
Date: 2022.01.24 18:31:45
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादी :

1. शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल जाति भाम्बी निवासी ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजेमर।

प्रतिवादीगण :

1. जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथा
2. श्रवण पुत्र चौथा
3. नारायणी पुत्रि चौथा
4. सुन्दरी पुत्रि चौथा
5. कमली पुत्रि चौथा
6. मतिया पुत्रि चौथा
7. सन्तु पुत्रि चौथा
8. रामा पुत्र उंकार
9. गिरधारी पुत्र उंकार कौम गुर्जर साकिन खातेदार ग्राम . खेड.ा तहसील .जैतारण जिला.पाली (राज.)
10. भंवरू पुत्र फुसा कौम भांबी साकिन खातेदार ग्राम . खेड.ा तहसील .जैतारण जिला.पाली (राज.)
11. श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)
12. रामगोपाल इण्डस्ट्रीज प्रा.लि.पता 10 ए अमरविजय कार्म्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड.जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय भण्डारी पुत्र श्री राजमल भण्डारी ।
13. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा [illegible] 112/2020
निर्णय/ [illegible] :- 30.12.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:45 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज [illegible] .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री [illegible] त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म [illegible] जाता है कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 2324 रकबा 1-14 बीघा किस्म सेवज दोयम की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	शांन्तिलाल पुत्र भंवरलाल जाति-भांबी सा.बाड़ीया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील-ब्यावर जिला-अजमेर खातेदार।	2324/1	0.0688	से0दो0	0.09
2	मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड खातेदार।	2324	0.0860	से0दो0	0.11
3	रामगोपाल इण्डस्ट्रीज प्रा.लि.पता 10 ए अमरविजय को.खातेदार	2324/2	0.0172	से0दो0	0.02
4	जैती उर्फ तेजी पत्नि चौथा हि. 1/48, श्रवण पुत्र चौथा हि.1/48, नारायणी पुत्री चौथा हि.1/48, सुन्दरी पुत्री चौथा हि.1/48, कमली पुत्री चौथा हि.1/48, मतिया पुत्री चौथा 1/48, सन्तु पुत्री चौथा हि.1/48, गणकी पत्नि कालू हि. 1/144, नोरती पुत्री कालू हि.1/144, धीरकी पुत्री कालू हि.1/144, रामा पुत्र उंकार हि.1/12, गिरधारी पुत्र उंकार हि. 1/12, कौम-गुर्जर सा.खेड़ा भंवरू पुत्र फूसा हि. 2/3, कौम -भांबी सा.खेड.I	2324/3	0.1032	से0दो0	0.15

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख [illegible]/12/[illegible]021 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:45 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02 - 00	स्टाम्प वकालतनामा	01 - 00
स्टाम्प वकालतनामा	01 - 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03 - 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः-	06 - 00	मिजानः-	01 - 00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:45 IST
Reason: SelfAttested